जयाय-I
प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अधीन 66 विभाग तथा 74 स्वायत्त निकाय कार्यशील हैं। 2011-16 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रति बजट अनुमानों एवं वास्तविकताओं की स्थिति को **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1: 2011–16 के दौरान रा.रा..क्षे.दि.स. का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	1,589.55	4,347.23	3,128.74	5,738.57	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40	7,055.66	6,427.12
सामाजिक सेवाएं	11,567.05	10,717.11	12,616.68	11,737.43	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11	16,193.02	14,817.83
आर्थिक सेवाएं	2,253.06	2,172.22	2,611.64	2,350.82	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99	4,302.65	4,138.71
सहायता अनुदान एवं अंशदान	736.23	728.29	833.77	832.53	804.50	804.50	900.99	900.99	958.89	958.89
कुल (1)	**16,145.89**	**17,964.85**	**19,190.83**	**20,659.35**	**23,515.08**	**22,366.52**	**26,037.78**	**23,509.49**	**28,510.22**	**26,342.55**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	4,209.53	4,004.27	4,835.80	4,176.63	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94	5,308.25	4,723.47
वितरित ऋण एवं अग्रिम	3,404.58	3,345.42	4,082.37	3,734.83	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94	2,711.35	2,684.32
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,090.00	1,087.88	1,288.00	1,287.99	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73	1,435.18	1,435.17
आकस्मिक निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00
लोक लेखों का संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतिम रोकड़ शेष	0	4,636.28	0	1,985.75	0	880.65	0	1,517.07	0	3,654.94
कुल (2)	**8,704.11**	**13,073.85**	**10,206.17**	**11,185.20**	**11,908.51**	**12,565.73**	**8,752.22**	**8,947.68**	**9,454.78**	**12,507.90**
कुल योग (1+2)	**24,850.00**	**31,038.70**	**29,397.00**	**31,844.55**	**35,423.59**	**34,932.25**	**34,790.00**	**32,457.17**	**37,965.00**	**38,850.45**

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखे

1.2 रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधनों का अनुप्रयोग

रा.रा.क्षे.दि.स. का कुल व्यय[1] 2011-16 के दौरान ₹ 25,314.54 करोड़ से 33.36 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 33,760.34 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व व्यय 2011-12 के ₹ 17,964.85 करोड़ से 46.63 *प्रतिशत* से बढ़कर 2015-16 में ₹ 26,342.55 करोड़ हो गया। 2011-16 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 11,524.00करोड़ से 55.88 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 17,963.23 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत व्यय ₹ 4,004.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया।

[1]लोक ऋण तथा रोकड़ शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

कुल व्यय के संघटक के रूप में राजस्व व्यय 2011-12 में 70.97 *प्रतिशत* से बढ़कर 2015-16 में 78.03 *प्रतिशत* हो गया जबकि पूंजीगत व्यय 15.82 *प्रतिशत* से घटकर 13.99 *प्रतिशत* हो गया। 2011-16 की अवधि के दौरान कुल व्यय 6.85 *प्रतिशत* की एक वार्षिक औसत दर से बढ़ गया जबकि राजस्व प्राप्तियां 7.43 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर पर बढ़ी।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान चार मामलों में ₹1.00 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थीं जैसाकि **तालिका–1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2: 2011–16 के दौरान निरंतर बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
राजस्व–(दत्तमत्त)						
1.	**अनुदान संख्या 3: न्याय का प्रशासन:** 2014 बी.1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय	8.69	5.00	6.04	8.05	15.29
2.	**अनुदान संख्या 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य: 2211 के 1 (3)(1)**–शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस.)	7.45	1.93	3.50	9.21	8.71
3.	**अनुदान संख्या 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग:** 2217 ए.8(2)(1)(26)-नगर सुधार के लिए सहायता अनुदान	300.93	189.87	325.16	157.12	377.16
पूंजीगत (दत्तमत्त)						
4.	**अनुदान संख्या 8: समाज कल्याण:** 5055 डीडी.1(3)(1)-परिवहन के वैकल्पिक साधन-इलैक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरूआत	240.75	8.39	97.21	3.00	11.00

स्रोत: विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतें दावों/बिलों की कम प्राप्ति, भंडार मदों की कम खरीद, भारत सरकार (भा.स.) से निधियों की गैर-प्राप्ति, दिल्ली नगर निगम को अनुदान की गैर/कम अदायगी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/सहमति की विलंब से प्राप्ति, योजनाओं का गैर-कार्यान्वयन तथा आवंटित निधियों के उपयोग में लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) की असमर्थता के कारण थी।

1.4 भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दिए गए हैं:

तालिका 1.3 : भारत सरकार से सहायता अनुदान के वर्ष–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
गैर-योजनागत अनुदान	978.85	333.57	326.91	327.95	2,905.02
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	814.76	919.73	717.81	1,467.35	486.72
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	167.03	249.22	358.14	552.84	866.55
योग	**1,960.64**	**1,502.52**	**1,402.86**	**2,348.14**	**4,258.29**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (-) की *प्रतिशतता*	(-) 55.00	(-) 23.37	(-) 6.63	(+) 67.38	(+) 81.35
राजस्व प्राप्तियां	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85
राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता*	8.76	5.88	5.01	7.94	12.17

भा.स. से सहायता अनुदान ने 2011-14 के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाया। इसके पश्चात यह 2014-15 के दौरान ₹ 2,348.14 करोड़ से विशेष रूप से बढ़ गया तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 81.35 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ लगभग दोगुना हो गया। इसकी राजस्व प्राप्तियां से *प्रतिशतता* 5.01 से 12.17 *प्रतिशत* के मध्य थीं।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मकता/ जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा पणधारियों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों का निर्धारण भी शामिल होता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तियों को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निर्देशित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2015-16 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के 185 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) तथा 13 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी आयोजित की गई।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण कमियों के साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता जिसका विभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया है। अभीष्ट लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए उन पर अपने उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 17 पैराग्राफों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से एक निष्पादन लेखापरीक्षा (दिल्ली में खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन) तथा 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2016) ।

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

रा.रा.क्षे.दि.स. के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्राप्तियां जिसमें वसूलियां शामिल थीं, को नमूना जांच परीक्षा के दौरान ऐसे विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पुष्टि तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2015-16 के दौरान, 156 मामलों में निर्दिष्ट ₹ 11.62 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ.सं.अ. ने 62 मामलों मे केवल ₹ 2.11 करोड़ (पिछले वर्ष की वसूली शामिल करते हुए) की वसूली की।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में कमी

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2016 को 1,650 निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया 7,742 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4 : बकाया ले.प.प्र. तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2014 को			मार्च 2015 को			मार्च 2016 को		
	ले.प.प्र.	पैरा	राशि	ले.प.प्र.	पैरा	राशि	ले.प.प्र.	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	774	3,129	219.56	843	3,551	99.19	876	3,647	99.84
सामान्य क्षेत्र	616	3,000	256.34	537	3,041	448.04	594	3,455	455.30
आर्थिक क्षेत्र (गैर. सा..क्षे.उ.)	158	550	4,682.75	163	593	6,821.38	180	640	5,494.71
कुल	**1,548**	**6,679**	**5,158.65**	**1,543**	**7,185**	**7,368.61**	**1,650**	**7,742**	**6,049.85**

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वित्तीय प्रबंधन तथा जवाबदेही में सुधार करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा उत्थित मामलों का पता लगाने हेतु सरकार की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.9.1 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) में एक्शन टेकन नोटस तथा पैराग्राफों की चर्चा का गैर–प्रस्तुतिकरण

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में,कार्यकारी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों ने सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः एक्शन टेकेन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरूआत की है बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन ए.टी.एन. को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तारीख से लेकर चार महीने की अवधि के भीतर महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत् जांच के बाद लो.ले.स. को प्रस्तुत किया जाना है।

2005-06 से 2014-15 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दिखाए गए 38 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 118 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 44 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। सात निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 37 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 नवंबर 2016 तक, लो.ले.स./(सरकारी उपक्रमों पर समिति)कोगू द्वारा चर्चा की गई है।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष–वार विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनको धन मूल्य सहित दर्शाए गए थे, को **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका–1.5: 2012–15 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹करोड़ में)	निष्पादन लेखा परीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2012-13	5	94.77	10	226.57	4	5
2013-14	5	43.40	15	146.26	3	0
2014-15	4	240.04	16	1711.58	1	3

रा.रा.क्षे.दि.स. को 14 निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 41 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे। यद्यपि, सरकार/विभागों से केवल आठ निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आठ लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में ₹ 54.24 करोड़ धन मूल्य की चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा ₹ 282.63 करोड़ के 12 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए है। जहां कहीं भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।